

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 120(1) और (2) - आयकर प्राधिकरण - क्षेत्राधिकार - अधिसूचना संख्या SO 777(E), दिनांक 11-10-1990 का अधिक्रमण

अधिसूचना संख्या 66/2014 [फा. सं. 279/MISC./66//2014-SO (ITJ)]/SO 2907 (E), दिनांक 13-11-2014

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 120 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की दिनांक 11 अक्टूबर, 1990 की अधिसूचना, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपधारा (ii) संख्या का.आ. में प्रकाशित हुई थी, का अधिक्रमण करते हुए। 777 (ई) दिनांक 11 अक्टूबर, 1990 के द्वारा, ऐसी अधिसूचना से पूर्व की गई या न की गई बातों के संबंध में, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, इसके साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट प्रधान मुख्य आयकर आयुक्तों को, जिनका मुख्यालय उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) की संगत प्रविष्टियों में निर्दिष्ट स्थानों पर है, यह प्राधिकृत करता है कि वे उक्त अनुसूची के स्तंभ (4) की संगत प्रविष्टियों में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं आयकर प्राधिकारियों द्वारा, जो ऐसे प्रादेशिक क्षेत्रों या ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों या ऐसी आयों या आय के वर्गों या ऐसे मामलों या मामलों के वर्गों के संबंध में, जो ऐसे आदेश में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं, शक्तियों के प्रयोग और कार्यों के निष्पादन के लिए लिखित आदेश जारी करें:

परंतु ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा जिससे आयुक्त (अपील) के अपने अपीलीय कार्यों के प्रयोग में विवेकाधिकार में हस्तक्षेप हो।

अनुसूची

2. यह अधिसूचना 15 नवंबर, 2014 से लागू होगी।